

पत्र पत्र अन्तर्गत चार 128 पर  
मिच पर बहस सुनी बाई/वास्ते  
आदेश दिनांक 18/4/19 को पेश हो

एच

उपखण्ड अधिकारी  
जमवारामगढ़

18/4/19

पत्रावली पेश हुई वकील जाधो  
उपरिमत। अजाधो स०५ उपरिमत।  
उभय पक्षों के अधिवक्ता बल्लो की  
बहस सुनी बाई बहस सुनी  
पत्रावली का अवलोकन करत  
पर जाधो कीपती खातेदारी अगिका  
सीमाचिह्न अंकित करवाकर पटपरबाई  
करवाना यच्छा है जो जाधो को कावणी  
हक व अधिवक्ता है इसीलिए जाधो  
पत्र अन्तर्गत चार 128 ~~का~~ एच  
आर एच को स्वीकार किया जाना  
अप्योचित समझते है।

अतः जाधो द्वारा प्रस्तुत जाधो  
पत्र अन्तर्गत चार 128. एच. मिच को  
स्वीकार किया जाता है। यदि वादग्रस्त  
आराजी खण्ड 526/334 व 527/334  
वाके गुण चोरट अर्क हररामपुर पञ्चर  
हएका रायपुर तहसील जमवारामगढ़  
जिला जमपुर पत्र यदि किसी अन्य  
अध्यालय का स्थान आदेश न हो  
तो तहसीलदार जमवारामगढ़ को  
निदेश दिये जाते है कि वे विवाचित  
अगि को चारों तरफ सीमाचिह्न अंकित  
कर पटपरबाई करना सुनिश्चित करें।

पत्रावली केवल शुद्ध होकर  
जदर से काग हो दाद को  
दक्षिण दक्षर हो निर्णय आज दिनांक  
18/4/19 को सुके अध्यालय सुनाय  
गया। एच

उपखण्ड अधिकारी  
जमवारामगढ़

